2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019

क्रमांक एफ -10-12/2019/वाक/पांच (30).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच (30), दिनांक 07-3-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 7th March 2019

NOTIFICATION
No. 12/2019 - State Tax

No. F-10-12/2019/CT/V(30).— In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 37 read with Section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommedations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in Form GSTR-1 under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months form April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of Section 38 and sub-section (1) of Section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019

अधिसूचना

संख्या 13/2019 - राज्य कर

क्रमांक एफ- 10-12/2019/वाक/पांच (31). — आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवे दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी.

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय :- प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात, जिसको उससे उक्त विवरणी को देने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.